

(5)

समाहरणालय, बक्सर
(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक 687 / आ०,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
बक्सर, चौसा, इटाही, सिमरी, ब्रह्मपुर एवं चक्की।

बक्सर, दिनांक 15/05/2021

विषय : CFMS द्वारा Head of Account-39-2245-02-118-0001-NA के अंतर्गत क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत (बाढ़ 2021) मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु कुल 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र का उपावटन।

प्रसंग : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना का Order No.-571 Date 06-05-2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा CFMS Portal पर Allotment Id- 190505, मांग सं०- 39, Major Head- 2245, Relief on Account of Natural Calamities, Sub Major Head-02-Flood, Cyclone etc. Minor Head-118-ASST. FOR REP/ REPL OF DAMAGED BOATS AND EQUIP FOR FISHING, Subhead-0001 Object Head- 21-01 Material & Supply, Head of Account-39-2245-02-118-0001-NA के अंतर्गत क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत (बाढ़ 2021) मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु कुल 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र का आवंटन विभाग से प्राप्त है।

प्राप्त आवंटन कुल राशि 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र निम्नवत आपको उपावटित किया जाता है :-

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत (बाढ़ 2021) उपावटित राशि	कुल उपावटित राशि
1	2	3	4
1	अंचल अधिकारी, बक्सर	20000.00	20000.00
2	अंचल अधिकारी, इटाही	5000.00	5000.00
3	अंचल अधिकारी, चौसा	15000.00	15000.00
4	अंचल अधिकारी, सिमरी	25000.00	25000.00
5	अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर	25000.00	25000.00
6	अंचल अधिकारी, चक्की	10000.00	10000.00
कुल योग :-		100000.00	100000.00

कुल उपावटित राशि 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र की निकासी निम्न शर्तों के तहत की जायेगी :-

- यह आवंटन बाढ़ 2021 क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में होने वाले व्यय के लिये निर्गत किया जा रहा है।
- उपावटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावटन किया गया है किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- आवटित की गयी राशि की निकासी अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजते हुए शीघ्रतिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 31.08.2021 तक अवश्य भेज दी जाय।
- उपावटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष / उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561वि०(2) दिनांक- 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।


6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन दिनांक- 31.08.2021 तक निश्चित रूप से कर दे, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी। राशि की निकासी कर बैंक खाता में नहीं रखी जाय।

विश्वासभाजन,


जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक..... 687/आ0 दिनांक..... 15/5/2021।

- प्रतिलिपि : नजारत उप समाहर्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डुमरौव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : डी0आइ0ओ0, एन0आई0सी0, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरौव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
बक्सर